



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- spsrn-up@nic.in



दिनांक -28.09.2026

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों की आईडी का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज/सादे कागज अपलोड कर कूटरचित तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद एंड्राइड मोबाइल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए सरकारी प्रक्रिया को दरकिनार कर, ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों को धोखे में रखकर उनके यूजर आईडी/ईमेल का दुरुपयोग किया जा रहा था। अभियुक्तगण सीआरएस (CRS) पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज/सादे कागज अपलोड कर कूटरचित तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर डाउनलोड करते थे और अवैध धन अर्जित कर रहे थे। इसके संबंध में मु0अ0सं0 144/26 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना सुरियावां जनपद भदोही पंजीकृत विधिक कार्रवाई प्रचलित थी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.09.2026 को थाना सुरियावां पुलिस टीम द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम निम्नवत है।

1. कृष्ण कुमार प्रजापति पुत्र विनोद प्रजापति, निवासी- ग्राम मनापुर, थाना सुरियावां, जनपद भदोही (उम्र लगभग 25 वर्ष) - पद: संविदा पंचायत सहायक/कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम मनापुर। (सरगना)
2. प्रदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार, निवासी- गहरपुर, थाना बरसठी, जिला जौनपुर (उम्र लगभग 28 वर्ष) - संचालक: बिंद प्रदूषण केंद्र, सुरियावां बाईपास।
3. कमलकांत यादव (कमल यादव) पुत्र यज्ञ नारायण यादव, निवासी- ग्राम चककिशुनदास, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही (उम्र लगभग 32 वर्ष) - संचालक: आधार सुधार केंद्र, मोढ़ पुरानी बाजार।

बरामदगी का विवरण:-

विभिन्न कंपनियों के 03 अदद एंड्राइड मोबाइल फोन एवं अभियुक्तों के बैंक खातों व मोबाइल में क्रमशः 76,000 रुपये (प्रदीप) तथा 35,000 रुपये (कमल) के ऑनलाइन अवैध लेनदेन (ट्रांजैक्शन) का विवरण/स्क्रीनशॉट।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में मुख्य अभियुक्त कृष्ण कुमार प्रजापति ने बताया कि वह ग्राम मनापुर में संविदा पर पंचायत सहायक है। अधिकारियों को कंप्यूटर की कम जानकारी होने का फायदा उठाकर वह अधिकारियों से ओटीपी (OTP) प्राप्त कर उनकी ईमेल आईडी व पोर्टल लॉगिन कर लेता था। सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार और कमल यादव (सहज जनसेवा/आधार केंद्र संचालक) प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले ग्राहकों से अवैध रूप से पैसे वसूलते थे तथा उनका डेटा मुख्य अभियुक्त पंचायत सहायक कृष्ण कुमार को भेजते थे। इसके बाद मुख्य अभियुक्त उसी लॉगिन सत्र का दुरुपयोग कर, वैध आवेदनों की आड़ में फर्जी डेटा व सादे कागजात अपलोड कर सीआरएस (CRS) पोर्टल से कूट रचित तरीके से जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेता था। यह सभी मिलकर एक संगठित गिरोह की तरह कार्य कर रहे थे। अभियुक्तों ने अब तक लगभग 200-250 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर अवैध लाभ कमाना स्वीकार किया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

टीम-1 उ०नि० विनोद कुमार तिवारी (चौकी प्रभारी पाली, थाना सुरियावां, जनपद भदोही), उ०नि० मो० शकील खां, का० अहम सिंह, का० गोलू कुमार एवं का० श्रीराम सरोज (थाना सुरियावां, जनपद भदोही)।

टीम - 2 उ०नि० राजकुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट/सर्विलांस सेल, हे०कां० राधेश्याम कुशवाहा, हे०कां० धीरेन्द्र श्रीवास्तव, हे०कां० बृजेश सूर्यवंशी, हे०कां० नागेन्द्र यादव, कां० गोपाल खरवार, कां० नीरज यादव, कां० राघवेन्द्र कुशवाहा, कां० मन्नू सिंह, कां० सुनील पाल, कां० सुनील कन्नौजिया, कां० हिमांशु सिंह, कां० दीपक यादव, कां० प्रत्युष पाठक समस्त सर्विलांस/स्वाट टीम